राजनीतिक पर्यावरण के उत्थान में महिलाओं की भूमिका

Women's Role in Political Environment Progress

Avneesh kumar Gautam

Ph.D Research Scholar
DPS, BBAU, Lucknow

Abstract-

वर्तमान समय में हमारे समाज में जो कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, वह वर्षो से चले आ रहे महिला संघर्ष का परिणाम है। प्राचीन समय में महिलाओं की दशा हमारे समाज में ठीक नहीं थी, उस समय महिलाओं को 'वस्तु मात्र' समझा जाता था। महिलाओं का कार्य केवल घर की चहारदीवारी तक ही सीमित था, महिलायें काम वासना की वस्तु मात्र समझी जाती थी। यहॉ तक कि जो पाश्चात्य राजनीतिक जिसमें प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारक हुए इन्होंने अपने लेखों में महिलाओं को राजसत्ता में उच्च स्थान नहीं दिया। भारतीय राजनीतिक विचारकों जिसमें मनु, कौटिल्य आदि विचारकों ने भी स्त्रियों को नजरअन्दाज किया, आचार्य मनु ने यहॉ तक कहा है कि ''स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं'' अर्थात् स्त्री को पुरूष के वश में रहना चाहिये। 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे राजनीतिक विचारक जिसमें मैरीवोल्सटेन क्राफ्ट, जे0 एस0 मिल हुए, जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिये अपने लेखों के माध्यम से आवाज उठायी। बीसवीं शताब्दी में तो जैसे महिला अधिकारों के समर्थकों की बाढ़ सी आ गयी। आज हमारे समाज में जो उचित स्थान महिलाओं को प्राप्त हुआ है वह वर्षो के संघर्ष का परिणाम है। आज महिलायें भी पुरूषों की तरह ही देश और समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दे रही है।[1]

राजनीतिक पर्यावरण एवं महिलायें–

'पुत्री ही सभी दुःखों का स्रोत है और पुत्र रक्षक'

–वृहदोउपनिषद्

''स्त्री अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति को बेच सकती है और उसे गिरवी रख सकती है– कात्यायन

यदि हम पश्चात् विचारको को देखे, तो उसमें प्लेटो ने अपने परिवार विषयक साम्यवाद में लिखा है कि ''स्त्रियॉ सबकी समान रूप से पत्नियॉ होगी, और इनसे उत्पन्न सन्तानें समान रूप से सबकी होगी''। यदि हम प्लेटो के शिष्य अरस्तू को देंखे तो उन्होंने भी पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन किया है। अरस्तू का मानना है–कि ''पुरूष स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान एवं समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्णतः नियंत्रण रख सकता है''। इसी प्रकार यदि हम भारतीय इतिहास को उठाकर देखें आचार्य मनु ने महिलाओं को पुरूषों के आधीन रहने की सलाह दी है। उन्होने अपनी पुस्तक ''मनु स्मृति'' में लिखा गया है कि ''नारी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं''। वहीं दूसरी ओर वैदिक साहित्य में कहा गया है, कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तें, रमन्ते तत्र देवता''। अर्थात् वैदिक युग में नारियों को पुरूषों के समान ही उचित स्थान दिया जाता था।

प्राचीन काल में जब बौद्ध संगतियॉ होती थी, तब स्त्रियों को बौद्ध संगति में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। भगवान बुद्ध के समय ही, जब बौद्ध संगति हो रही थी। तब उन्होंने देखा कि उनकी मौसी (माता के समान) व कुछ अन्य स्त्रियॉ बौद्ध संघ के बाहर बैठी थी। गौतम बुद्ध ने देखा कि उनकी मौसी उदास थी, तब उन्होंने आदेश दिया कि आज से स्त्रियॉ भी बौद्ध संघ के विद्वानों की सभा में बैठ सकती हैं। यह पहला अवसर था जब स्त्रियों को किसी राजनैतिक संस्था में प्रवेश की अनुमति मिली थी।

इसी तरह हम सल्तनत काल में देखतें है कि स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। उस समय जितने भी युद्ध होते थे, वह लगभग स्त्रियों को लेकर ही होते थे। स्त्रियॉ पुरूषों के हाथ की कथपुतली थीं। राजा एक–दूसरे की स्त्रियॉ प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे, यही कारण था कि 1192 ई0 में जब मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचन्द्र की पुत्री से प्रेम करता था। इसलिये जयचन्द्र एवं अन्य राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की और पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद उनकी इसी घृणा का लाभ उठाकर 1194 ई0 में मोहम्मद गौरी ने जयचन्द्र को भी पराजित कर दिया तथा इस प्रकार भारत में एक विशाल ''मुस्लिम समाज'' की स्थापना की। इसी तरह 1236 ई0 में इल्तुमिश की मृत्यु के बाद जब रजिया सुल्तान शासिका बनी। तब उनके चचेरे भाई जहीरूद्दीन मोहम्मद एवं उनके अन्य साथियों ने उसके शासक बनने पर विरोध किया, क्योंकि वह एक स्त्री थी। इसके बावजूद रजिया सुल्तान शासिका बनी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका कहलायी। उसके स्त्री होने के कारण ही उसे मात्र 4 वर्ष शासन करने के बाद 1240 ई0 में उसके दरबारियों ने षड़यन्त्र रचकर मार डाला। इस बात की पुष्टि करते हुये मिन्हास सिराज ने कहा है कि ''रजिया सुल्तान में एक योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे, परन्तु दुर्भाय से प्रकृति ने उसे स्त्री बनाया था''।

अगर हम 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय चिन्तन को देखें तो जे0 एस0 मिल वह पहला विचारक था जिसने अपनी पुस्तक "The Subjection of the Women- 1869" में महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ''राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में लिंग के आधार पर भेदभाव करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूँ, जैसा कि बालों के रंग के आधार पर'' अगर भेदभाव करना ही है तो महिलाओं को पुरूषों की तुलना में मताधिकार की अत्यधिक आवश्यकता है''।[2] स्त्रियॉ शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि समाज पर अत्यधिक निर्भर रहती है। इसी तरह से न्यूजीलैण्ड विश्व का पला देश था जिसनें 1893 ई0 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया था''। इसी प्रकार से अमेरिका में 1919, ब्रिटेन में 1928 में तथा भारत में 1950 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया।

मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट की कृति "Vindication of The Rights of Woman (1793)" में स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लियें शानदान पैरवी की गयी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विकास हेतु निरन्तर प्रयास जारी है, सर्वप्रथम इसकी पहल वैश्विक स्तर पर 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में की गयी, तथा अमरीकी प्रशासन ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, परन्तु वैश्विक स्तर पर इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। विश्व में महिलाओं की निरक्षरता इसकी प्रमुख समस्या थी जिसकी वजह से महिलाओं को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में कठिनाइयों का सामना पड़ता था। अशिक्षा के साथ–साथ कुसंस्कारों, अन्धविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़िवादिता आदि सामाजिक बाधाओं का बोलबाला था, अंततः सर्वोच्च विश्व संस्था ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और इसी वर्ष यह निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए, यहॉ तक की चीन, रूस आदि देशों में तो अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को छुट्टी भी रहती है''।[3]

उपर्युक्त सकारात्मक पहल के बाद सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की प्रगति निरंतर अग्रसर है, यहॉ तक की सर्वोच्च पदों पर भी वे आसीन हुई हैं, लगभग 40 वर्षों की अवधि में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।–

- भारत में 1981 की जनगणना के अनुसार केवल 29.76 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर थीं, स्पष्टतः महिला साक्षतरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी।

- उसके बाद 1991 ई0 में महिला साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी हुई तथा 39.3 प्रतिशत तक पहुॅच गयी, तथा देश में महिला साक्षरता दर में निरन्तर वृद्धि होने लगी।
- 2001 में महिला साक्षरता की दर बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गयी। महिला साक्षरता की दिशा में केरल राज्य ने सर्वाधिक प्रगति की है।
- सन् 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 2001 के मुकाबले 53.6 प्रतिशत से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गयी। जिसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल 92 प्रतिशत तथा सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार 53.39 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 59.3 प्रतिशत तक ही बढ़ीं।[4]

भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 की संशोधित कार्ययोजना की घोषणा की थी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1979–80 की अवधि में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पहल की गयी थी, कि स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनें पर या स्कूल जाने में किसी कारणवश असमर्थ बालिकाओं तथा कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलानें की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को शैक्षिक बनाना, यह एक सराहनीय तथा प्रशंसनीय प्रयास था। भारत में बालिकाओं की संख्या घट रही है लिंगानुपात की दृष्टि से महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में निरन्तर घटती जा रही हैं अतः कन्या भ्रूण हत्या पर कारगर नियन्त्रण हेतु कानूनी पहल की गयी, इस सम्बन्ध में कानून की धाराएं 312–318 तक होती है, प्रसव–पूर्व तकनीक निवारण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कन्याभ्रूण हत्या एक गैर–जमानती अपराध है तथा कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

भारत में दहेज लेना और देना तथा दहेज हत्या दण्डनीय अपराध है, ''दहेज प्रतिरोध अधिनियम'' सन् 1961 से ही लागू हैं, जिसकी धारायें 304 (ख) तथा 498 (क) ऐसे अपराधों के विरूद्ध दण्ड प्रदान करती है। निःसंदेह देश में महिला जागरूकता में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु फिर भी घरेलू हिंसा की घटनाऍ बढ़ रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को समुचित न्याय प्रदान करने का प्रावधान है। जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नही देना पड़ता है।

भारत में कार्यक्षेत्र में वेतन के भुगतान में व्यापक लिंग भेद अब भी बना हुआ महिलाओं को भी पुरूषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। भारत में समान वेतन अधिनियम 1976 की धारा 4 व 5 के अनुसार एक ही स्थान पर एक–सा–काम करने वाली महिला को भी पुरूष को देय वेतन के बराबर ही वेतन देने का प्रावधान है'', इस तरह वेतन लिंग के आधार पर वितरित करना गैर–कानूनी है।[5]

राजनीतिक दृष्टि से भारत में महिला सशक्तीकरण हेतु संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं हेतु पंचायती राज में 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है।[6]

इसी कारण आज भारत में महिलाओं की स्थानीय स्तर पर भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुये ही 1992 को ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' का गठन किया गया। महिलाओं के सम्मान के लिए 8 मार्च को ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' 12 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस एवं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 2008 को ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी 2010 को राज्यसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित किया गया, परन्तु लोकसभा में पारित होना अभी भी बाकी है।[7]

1970 से शुरू होने वाले दशक में यूरोप एवं अमेरिका की जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया, कि स्त्रियों के मताधिकार, आन्दोलनों एवं स्त्रियों की स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचारधाराओं की स्थिति में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पायी है। जिसमें उदारवादी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को पुरूषों की भॉति समान कार्य के लिए समान वेतन, गर्भपात कानून में सुधार एवं लिंग भेदभाव निराकरण आदि पर बल दिया गया, परन्तु यह भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा।

इसके बाद आमूल परिवर्तनशील विचारधारा आयी इस विचारधारा के अन्तर्गत शुलास्मिथ फायरस्टोन जैसी उल्कट नारी ने तर्क दिया है कि ''वर्तमान व्यवस्था में स्त्रियों के लिए, जो छिटपुट सुधार किये जा रहे हैं उनके अनुसार उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं''। उनका कहना है कि ''सारा इतिहास नारी पर अत्याचार की कहानी है। यह पितृसत्तात्मक शक्ति का जीता–जागता उदाहरण है। सामाजिक दृष्टि में स्त्री–पुरूष को भिन्न–भिन्न दृष्टि से देखा जाता है''।[8] उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा है–''लड़कों को अडिग, उद्दण्ड और दबंग बनने की शिक्षा दी जाती है, जबकि लड़कियों को आज्ञाकारी, शर्मीली एवं दब्बू बनना सिखाया जाता है। लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर एवं विधिवेत्ता बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जब कि लड़कियों को नर्स, टीचर और गृहणी बनने के लिए''। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री एवं पुरूष की मानसिक क्षमता में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

अगर वर्तमान समाज में देखें तो एक स्त्री जो किसी दूसरे परिवार में बहू बन कर जाती है, तो प्रायः उससे पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। यदि पुत्र का जन्म होता है तो उसे सभी लोग प्यार एवं सम्मान देते हैं, इसके विपरीत यदि पुत्री का जन्म होता है तो सभी लोग इस तरह से शोक में डूब जाते हैं मानों उनके ऊपर ''पहाड़ टूट पड़ा'' हो। अगर हम जीव–विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पुत्र या पुत्री के लिए पुरूष ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पुत्र के जन्म के लिए पुरूष के y एवं स्त्री के x क्रोमोसोम का संयोजन आवश्यक होता है।

वर्तमान में पहले जैसी परिस्थितियॉ नहीं रही, अब स्त्रियों को भी पुरूषों की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। स्त्रियों ने भी पुरूषों की तरह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपने आपको श्रेष्ठ साबित किया है। यहॉ पर हम भारत की कुछ प्रमुख महिलाओं का वर्णन कर रहे है जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अपनी विजय पताका फहराई है, तथा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं–

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री	श्रीमती इन्दिरा गॉधी
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल	श्रीमती सरोजनी नायडू
भारत की प्रथम आई0ए0एस0	श्रीमती अन्ना जार्ज
भारत की प्रथम महिला आई0पी0एस0	श्रीमती किरण बेदी
केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में शामिल होने वाली महिला	श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री	श्रीमती सुचेता कृपलानी
भारत की प्रथम महिला सांसद	श्रीमती राधाबाई सुबारन
भारत की प्रथम थल सेना अध्यक्ष	श्रीमती जनरल जी0एस0एम
भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक	श्रीमती कंचन चौधरी भट्टाचार्य
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला	श्रीमती बछेन्द्री पाल

भारत की प्रथम महिला राजदूत	श्रीमती विजय लक्ष्मी पंड़ित
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला	रानी लक्ष्मी बाई
प्रथम नोबेल प्राप्त महिला	श्रीमती मदर टेरेसा

निष्कर्ष–

आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ हैं वह वर्षों से चले आ रहे महिला संघर्ष का नतीजा है। यहॉ तक कि 19वीं शताब्दी के अन्त तक विश्व के किसी भी देश चाहें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, एवं रूस जैसे देशों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था।[9] मत देने का अधिकार महिलाओं को 20वीं सदी में प्राप्त हुआ। आज अधिकॉश देशों में महिलाओं को पुरूषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु अभी भी इसमें और सुधार आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को ऐसा वातावरण दिया जाये कि वे भी पुरूषों के समान बिना किसी भेद भाव के निःसंकोच रूप से प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे सके।

भारत में भी आजादी के बाद से ही महिलाओं को निरन्तर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाते रहे है। यही कारण है कि आज भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कॉग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गॉधी, प्रथम लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, ममता बनर्जी एवं बहन कुमारी मायावती आदि महिलायें उच्च पदों पर सुशोभित हुयी हैं। जिन्होंने भारत में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या 60 के ऊपर हो गयी है।, जो कि इस बात का प्रमाण है कि महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में आज बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और अपनी सफलता का परचम लहरा रहीं हैं। परन्तु इसके बावजूद हमारे देश में अभी भी पुरूषवादी सोच है। संसद में ''महिला आरक्षण विधेयक'' जो प्रथम बार 1996 में पेश हुआ था लगभग 20 वर्षो से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद संसद में विरोध के चलते अभी तक कानून का रूप नहीं ले पाया है। अभी हाल ही में नागालैण्ड सरकार द्वारा शहरी निकाय चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके विरोध में नागालैण्ड में वहॉ के चुनाव आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के कार्यालयों पर विरोध कर रही भीड़ द्वारा हमला किया गया। वहॉ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस के साथ– साथ सेना का भी सहारा लेना पड़ा। इसके साथ ही वहॉ की सरकार को जबरदस्त विरोध के चलते उस प्रावधान को वापस लेना पड़ा। अतः आज भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओं को समाज में ऐसा पर्यावरण उपलब्ध कराया जाये ताकि वो निर्भीक एवं निःसंकोच होकर राजनीतिक क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले सके।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है– पॉच सौ समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में पचास वर्ष लगेंगे, लेकिन पचास समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में सम्पन्न कर सकता हूॅ।[10]

सन्दर्भित ग्रन्थ सूची–

1. Wollston craft, Mary, A Vindication of the rites of women, 1796
2. Mill,J.S., Tht subjection of women, 1869
3. Millar and Swift, Worlds and women, 1986
4. जनसंख्या नगरीकरण–2011, शुभम पब्लिकेषन
5. Shukla,Manju, women literacy and Empoverment, 2011
6. Basu,D.D., Our constitution, 2011
7. Kashyap, subash, Hamari sansad, 2012
8. जौहरी, जे0 सी0– आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, 2012
9. गाबा, ओ0 पी0–राजनीतिक सिद्धॉत की रूपरेखा, 2010

10. डा0 बी0 एल0 फड़िया, भारतीय राजनीतिक चिंतन